

## अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

दयानन्द

बनाम

आनन्द आदि

सम मुकदमा :- दावा

नं.

सन् 2021

तगत धारा :- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53, 88

रीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिपियलराजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
01-2021	यह दावा श्री हनुमान शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। दावा सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन तलब किया जावे। सम्मन जारी हो। पत्रावली आयन्दि दिनांक 22.02.2021 को पेश हो।  4 ✓ उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	
23.3.21	वकूलाय फरिफकन उपस्थित। मिसल वास्ते..... दिनांक..... 23.3.2021 को पेश हो।  4 ✓ उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
23.3.21	वकूलाय फरिफकन उपस्थित। मिसल वास्ते..... दिनांक..... 20.4.21 को पेश हो।  4 ✓ उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
20.4.21	आज वकूलाय ने अदालत कार्य स्थगित कर रखा है मिसल वास्ते..... दिनांक..... 25.4.21 को पेश हो।  4 ✓ उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
25.4.21	आज वकूलाय ने अदालत कार्य स्थगित कर रखा है मिसल वास्ते..... को पेश हो।  4 ✓ उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
7.6.21	पत्रावली आदि वादी के उपस्थित आते थे वेही के भी गयी। वादी स्वयं उपस्थित वादी के आते 500	NOT Present दयानन्द कोलायत

सरपंच का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकृत  
के प्रती बंदी है।  
प्रती व प्रतिकारी गण का पत्र प्रजापती के  
राजीवका हो उका है प्रती अपने उका  
प्रकार को राजीवका से विदा करना चाहता है  
वो को जरिये राजीवका विदा करवाने की उका  
करने प्रती बंदी वा को उका चाहना नहीं  
चाहता है। जरिये राजीवका से विदा खारिज किया  
जाता है। बंद प्रजापती फैसल हुआर एकर  
हलक जाना खारिज इकर हो।

4 ✓  
उपखण्ड अधिकारी  
कालापुत जिला-बीकानेर